राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकः– एफ. 165 (07) परावि/एस.एफ.सी./चतुर्थ/2013–14/ 13116 दिनांक 30-03-15

विषयः– राज्य वित्त आयोग चतुर्थ के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को देय अनुदान के उपयोग हेतु दिशा निर्देश।

राज्य वित्त आयोग चतुर्थ द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के क्रम में की गई अनुशंषा के अन्तर्गत राज्य के शुद्ध कर राजस्व में से पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध कराई गयी राशि के उपयोग हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. जिला परिषद एवं पंचायत समितियों को यह राशि निर्बन्ध अनुदान (Untied Fund) के रूप में उपलब्ध कराई जावेगी। जिला परिषदें एवं पंचायत समितियाँ इस राशि का उपयोग ऐसे विकास कार्यों, जिन्हे किसी अन्य योजनाओं/प्रोग्राम के अन्तर्गत कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है, को संपादित करने हेतु कर सकेगी। वित्त विभाग की आईडी संख्या 331500139 दिनांक 23.03.2015 द्वारा दी गई सहमति के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2014–15 में अगस्त 2014 से जिला प्रमुख/प्रधानों के मानदेय एवं देय भत्तों का भुगतान इस मद अन्तर्गत प्राप्त राशि से किया जावेगा।
2. राज्य वित्त आयोग–चतुर्थ के अन्तर्गत ग्राम पंचायतें उपलब्ध कराई जा रही राशि से आधारभूत नागरिक सेवाओं का सृजन, संवर्धन एवं रखरखाव से संबंधित निम्नांकित कार्य संपादित कर सकेगी :–

- ठोस कचरा प्रबंधन से संबंधित कार्य।
- गलियों एवं सडको पर प्रकाश व्यवस्था।
- शवदाह एवं कब्रिस्तान का रख–रखाव।
- सामुदायिक हॉल का निर्माण एवं रख–रखाव।
- पेय–जल आपूर्ति।
- स्वच्छता (जिसमें सार्वजनिक शौचालयों/मूत्रालयों का निर्माण शामिल है) एवं सफाई व्यवस्था।
- प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं का रख–रखाव।
- कम्प्यूटराजेशन, क्षमता विकास एवं आधारभूत ढाँचे का सृजन।
- वित्त विभाग की आई–डी. संख्या– 101500443 दिनांक 02.03.2015 एवं आई–डी. संख्या–331500129 दिनांक 11.03.2015 द्वारा दी गई सहमति के अनुसरण में राज वित्त आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त होने वाली अनुदान राशि से प्रथम चार्ज के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में पेय–जल व्यवस्था बाबत जल योजना के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सम्पूर्ण व्यय (वेतन, मानदेय, मजदूरी, विद्युत व्यय, रख–रखाव, पुनर्स्थापना आदि) वहन किया जाना है एवं पंचायत समितियों के अधीन कार्यरत हैण्ड पम्प मिस्त्रियों एवं फिटर्स के वेतन भत्तों का भुगतान इस मद अन्तर्गत प्राप्त राशि से किया जायेगा।

3. पंचायती राज संस्थाओं को प्रदत्त अनुदान का सबसे अच्छा उपयोग किस जनसेवा के लिए किस रूप में क्या होगा इसका निर्णय संबंधित पंचायती राज संस्था द्वारा किया जावेगा परंतु उसे इस अनुदान से इन जन सेवाओं के लिए नये या अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करने की इजाजत नहीं होगी। वर्तमान में वित्त विभाग की आई–डी. सं.–101500443 दि. 02.03.2015 एवं आई–डी. संख्या–331500129 दिनांक 11.03.2015 द्वारा दी गई सहमति के अनुसरण में राज्य वित्त आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त होने वाली अनुदान राशि से प्रथम चार्ज के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में पेय–जल व्यवस्था बाबत जल योजना के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सम्पूर्ण व्यय (वेतन, मानदेय, मजदूरी, विद्युत व्यय, रख–रखाव, पुर्नस्थापना आदि) वहन किया जाना है एवं पंचायत समितियों के अधीन कार्यरत हैण्ड पम्प मिस्त्रियों एवं फिटर्स के वेतन भत्तों का भुगतान इस मद अन्तर्गत प्राप्त राशि से किया जायेगा।

4. राशि का हस्तांतरण :–

पंचायती राज संस्थाओं हेतु प्रदत्त जिलेवार कुल राशि का हस्तांतरण पंचायती राज विभाग द्वारा जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के पी.डी. खातों में किया जायेगा। जिले को आवंटित कुल राशि में से 3 प्रतिशत राशि का उपयोग जिला परिषदों द्वारा, 12 प्रतिशत राशि का उपयोग पंचायत समितियों द्वारा और शेष 85 प्रतिशत राशि का उपयोग ग्राम पंचायतों द्वारा किया जायेगा। पंचायती राज संस्थाओं हेतु प्रदत्त राशि में से राज्य वित्त आयोग द्वारा राज्य के 33 जिलों हेतु राशि आवंटन के संबंध में निर्धारित किये गये सूत्र के आधार पर प्रत्येक जिले को आंवटित होने वाली कुल राशि में से प्रत्येक किश्त की कुल राशि का 3 प्रतिशत राशि का अन्तरण पंचायती राज विभाग द्वारा जिला परिषदों के पी.डी.खातों में किया जावेगा। प्रत्येक जिले को आवंटित होने वाली 97 प्रतिशत राशि में से पंचायती राज विभाग द्वारा वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक किश्त की कुल राशि का 12 प्रतिशत का आवंटन पंचायत समितियों हेतु संबंधित पंचायत समिति के पी.डी. खातों में कर दिया जायेगा एवं 85 प्रतिशत राशि का आवंटन ग्राम पंचायतों हेतु सरपंच ग्राम पंचायत के खाते में कर दिया जावेगा । पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को होने वाले अंतरण की पंचायत समितिवार एवं ग्राम पंचायतवार सूचना विभाग द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद तथा लेखाधिकारी जिला परिषद को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की जावेगी।

जिला परिषदों द्वारा पचांयत समितियों के पी.डी. खातों में एवं ग्रम पंचायतों के बैंक खातों में उक्तानुसार किये जाने वाले हस्तांतरण की पुष्टि की सूचना ई–मेल/फैक्स द्वारा पंचायती राज विभाग को तत्काल उपलब्ध कराई जावेगी। इस हेतु ई–मेल एड्रेस cao_pr@rediffmail.com होगा ।

5. राशि का उपयोग एवं लेखा :–

ग्राम पंचायतों द्वारा योजनान्तर्गत प्राप्त राशि का मासिक लेखा संबंधित पंचायत समिति को आगामी माह की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावेगा। पंचायत समितियों द्वारा पंचायत समिति को प्राप्त कुल राशि का मासिक व्यय विवरण जिला परिषद को प्रतिमाह 10 तारीख तक व जिला परिषदों द्वारा उन्हें प्राप्त कुल राशि का मासिक व्यय विवरण प्रतिमाह 15 तारीख तक विभाग को प्रस्तुत किया जावेगा। इन लेखों में योजनान्तर्गत संपादित किये जा रहे कार्यों पर हुए व्यय, बैंक खातों में योजनान्तर्गत उपलब्ध राशि, गत माह में इन कार्यों हेतु आहरित राशि एवं भौतिक प्रगति का विवरण सम्मिलित किया जावेगा।

1. योजनान्तर्गत कार्यों का संपादन प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका में अंकित तकनीकी मापदण्डों एवं प्रावधानों के अनुरूप किया जावेगा। प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृतियाँ जारी करने की शक्तियाँ प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका के अनुरूप रहेंगी।
2. पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कार्यों का निष्पादन राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अध्याय 10 के अनुरूप तथा समय–समय पर किये गये संशोधनों/दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत किया जावेगा।

6. कार्यों का पर्यवेक्षण :–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम के नियम 336 (20) के अनुसार तथा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार पर्यवेक्षण किया जावेगा।
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 334 (42) के अनुसार तथा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार किया जावेगा।
3. योजनान्तर्गत कराए गये कार्यों का पर्यवेक्षण एवं भौतिक सत्यापन तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 में दिये प्रावधानों के अनुसार तथा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार किया जायेगा।
4. क0 अभियंता, पंचायत समिति राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 346 के अनुरूप तथा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार कार्य करेंगे।

7. उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र संबंधी व्यवस्थाः–

1. आवंटित राशि का उपयोग कर व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र अविलम्ब उपलब्ध कराना कार्यकारी संस्था का दायित्व होगा।
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति यह सुनिश्चित करें कि योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की माप पुस्तिका की क0 लेखाकार द्वारा गणितीय गणना की जांच कर ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत लेखों का योगादि की जांच कर उपयोगिता प्रमाण पत्र को जिला परिषद में समायोजन हेतु नियमित रूप से प्रेषित किया जा रहा है।
3. समायोजन हेतु कार्य की स्वीकृत राशि, वास्तविक व्यय, मूल्यांकन राशि में से जो भी कम हो वह राशि ली जावेगी।
4. उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण पत्रों की जांच प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका के अनुरूप की जावेगी।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद का दायित्व होगा कि प्रत्येक माह की 15 तारीख तक पंचायत समितियों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा भौतिक प्रगति को इकजाई कराकर जिला परिषद स्तर पर रजिस्टर का संधारण करावें तथा प्रगति रिपोर्ट पंचायती राज विभाग को संलग्न प्रपत्र में प्रेषित करें।

इन दिशा–निर्देशों में विनिर्दिष्ट नहीं किए गये शेष समस्त बिन्दुओं के संबंध में प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधान लागू होंगे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य वित्त आयोग की राशि के उपयोगिता पर श्रम/सामग्री का कोई न्यूनतम अनुपात लागू नहीं होगा।

उपरोक्त दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने का दायित्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद का होगा।

यह दिशा–निर्देश राज्य वित्त आयोग चतुर्थ द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अनुसरण में जारी किये जा रहे हैं।

ये दिशा निर्देश वित्त विभाग की आई. डी. संख्या 271400214 दिनांक 25.03.2014 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी किये जाते हैं।

संलग्नः– प्रपत्र प्रारूप।

(राजेश यादव)
शासन सचिव एवं आयुक्त

क्रमांकः– एफ. 165 (07) परावि/एस.एफ.सी./चतुर्थ/2013–14/ 13117–27 दिनांक 30.03.15

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सहायक, महालेखाकार, राज0 जयपुर।
4. निजी सहायक, सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज।
5. निजी सहायक, निदेशक, स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग, राज0 जयपुर।
6. निजी सहायक, उप शासन सचिव, वित्त (ई.ए.डी.) विभाग, जयपुर।
7. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
8. समस्त लेखाधिकारी, जिला परिषद।
9. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति।
10. प्रोग्रामर, पंचायती राज विभाग विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

(एस.के. अग्रवाल)
अतिरिक्त मुख्य अभियंता

जिला परिषद .....

माह.....

राज्य वित्त आयोग– चतुर्थ की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

राशि (लाख रू. में)

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	पंचायती राज संस्था	01.04.2011 से अब तक की प्रगति																
			वित्तीय प्रगति			यू.सी.		भोतिक प्रगति				कुल में से अनुसूचित जाति के लिए				कुल में से अनुसूचित जन जाति के लिए			
			कुल प्राप्त राशि	कुल व्यय	अवशेष राशि	प्रेषित कुल यू. सी.	बकाया यू.सी.	स्वीकृत कुल कार्य	पूर्ण	अपूर्ण	शुरू नहीं किये गये कार्य	कुल प्राप्त राशि	कुल व्यय राशि	स्वीकृत कुल कार्य	पूर्ण	कुल प्राप्त राशि	कुल व्यय राशि	स्वीकृत कुल कार्य	पूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद .....